एफ. सं.: 30004/04/ 2020- एनसीवीईटी/

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)

बी-2, कौशल भवन, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

https://ncvet.gov.in

दिनांक: 26 नवंबर, 2021

सेवा में,

सभी सदस्य

(एनसीवीईटी परिषद)

विषय: दिनांक 11 नवंबर 2021 को आयोजित एनसीवीईटी परिषद की चौथी बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय/महोदया,

मैं डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी, अध्यक्ष, एनसीवीईटी की अध्यक्षता में दिनांक 11 नवंबर 2021 को कौशल भवन, करोल बाग, नई दिल्ली में आयोजित एनसीवीईटी परिषद की चौथी बैठक का कार्यवृत्त आपके जानकारी और रिकॉर्ड के लिए अग्रेषित कर रहा हूं।

कृपया इसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति ईमेल के माध्यम से सूचित करें।

(सुशिल अग्रवाल)

निदेशक, एनसीवीईटी

sa.director.ncvet@gmail.com

S_gwal@gov. in

प्रतिलिपि प्रति:

1. वरिष्ठ पीपीएस, सचिव, एमएसडीई
2. श्री बीके राय, निदेशक, एमएसडीई
3. सभी निदेशक, एनसीवीईटी - संबंधित कार्यसूची मदों पर कार्रवाई के लिये।

दिनांक 11 नवंबर 2021 को प्रातः 11:30 बजे आयोजित एनसीवीईटी परिषद की चौथी बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 11.11.2021 को आयोजित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद की बैठक का कार्यवृत्त।

डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी, अध्यक्ष, एनसीवीईटी की अध्यक्षता में दिनांक 11 नवंबर 2021 को कौशल भवन, करोल बाग, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें सम्मिलित प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक -I में दी गई है।

बैठक के प्रारंभ में निदेशक श्री एस. सुशील कुमार ने चौथी बैठक के लिए एनसीवीईटी की ओर से एनसीवीईटी परिषद के माननीय सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

अध्यक्ष महोदय ने कार्यसूची के मदों को एक-एक करके शुरू करने की सलाह दी।

1. कार्यसूची बिंदु सं. सी0401: एनसीवीईटी परिषद की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

1.1 दिनांक 15.06.2021 को आयोजित एनसीवीईटी परिषद की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 15.06.2021 को आयोजित परिषद की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त को कार्यसूची के अनुलग्नक 1.1 के रूप में परिषद के समक्ष रखा गया था। परिषद के सदस्यों ने इसकी समीक्षा की और अनुमोदन दिया और इसे एनसीवीईटी की वेबसाइट पर अपलोड करने की सलाह दी।

1.2 एनसीवीईटी परिषद की तीसरी बैठक के कार्यसूची बिंदुओं पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट/ स्थिति अद्यतन:

डॉ. विनीता अग्रवाल, कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी ने एनसीवीईटी परिषद की तीसरी बैठक के कार्यसूची बिंदुओं पर स्थिति से अवगत कराया (कार्यसूची का अनुलग्नक 1.2)। परिषद

ने स्थिति की समीक्षा की, बिंदुवार, इसे नोट किया और परिषद की चौथी बैठक में कार्यसूची को आगे बढ़ने की सलाह दी।

2. कार्यसूची मद सं. सी0402: एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हता की स्थिति।

2.1 नई और संशोधित अर्हताओं का अनुमोदन।

परिषद को यह जानकारी दी गई कि दिनांक 15 जून 2021 को हुई पिछली परिषद की बैठक के बाद से, एनएसक्यूसी की 4 बैठकें आयोजित की गई हैं और एनएसक्यूसी द्वारा कुल 273 अर्हताओं की मंजूरी दी गई है (सशर्त अनुमोदन सहित) ।
परिषद को आगे बताया गया कि शून्य या बहुत कम प्रशिक्षण के साथ कुछ अर्हताएं हैं। परिषद को अर्हताओं को मंजूरी देने और यहां तक कि संग्रह करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया।

परिषद ने इस पर विचार-विमर्श किया और पिछली चार बैठकों के दौरान अनुमोदित अर्हताओं की स्थिति को नोट किया। इस संदर्भ में, श्रीमती अलका उपाध्याय, एएस, आरडी मंत्रालय ने सुझाव दिया कि सभी एसएससी को निर्माण कार्य के कामगारों सहित कामगारों को उनके कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों आदि पर शिक्षित करने से संबंधित नौकरियों के लिए एनओएस बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परिषद भी इसके लिए राजी हो गई।

2.2 दिनांक 31.03.2022 तक अर्हताओं में संशोधन हेतु तिथि बढ़ाना

परिषद को बताया गया कि निम्नलिखित एनएसक्यूसी बैठकों में अर्हताओं के संशोधन के लिए तिथि बधाई गई थी:

क. दिनांक 25.03.21 को हुई एनएसक्यूसी की सातवीं बैठक में कुल 1857 अर्हताओं को 31.09.2021 तक समय विस्तार दिया गया।

ख. इसके अलावा, दिनांक 29.07.2021 को आयोजित एनएसक्यूसी की 10वीं बैठक में दिनांक 15 सितंबर 2021 तक संशोधन या बिना संशोधन के साथ समय विस्तार के

लिए प्राप्त अर्हता प्रस्तावों के परिशोधन पर विचार करने का निर्णय लिया गया।

ग. प्रस्तुतकर्ता निकायों के अनुरोध पर विचार करते हुए, दिनांक 30.09.2021 को आयोजित 12वें एनएसक्यूसी में, 30 सितंबर 2021 तक संशोधन या बिना संशोधन के साथ समय विस्तार के लिए प्राप्त 992 अर्हता प्रस्तावों के 6 महीने यानी 31.03.2022 तक का समय विस्तार देने का निर्णय लिया गया।

सदस्यों को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि लगभग 4500 अर्हताओं में से एनक्यूआर पर उपलब्ध बड़ी संख्या में अर्हताएं पिछले तीन वर्षों में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या 100 से कम है। इसलिए, अब एनएसक्यूसी ने प्रस्तुतकर्ता निकायों के लिए अर्हता के किसी भी विस्तार के लिए प्रशिक्षण विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है ताकि उस पर विचार किया जा सके।

परिषद ने एनसीवीईटी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हता के बारे में अद्यतन पर ध्यान दिया।

3. कार्यसूची मद सं. सी0403: अवार्डिंग बॉडीज/मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता

3.1 परिषद को एबी और एए की मान्यता प्रक्रिया की स्थिति और कोविड 19 महामारी के चलते मौजूदा एबी / एए से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर एनसीवीईटी मान्यता के लिए आवेदन जमा करने के लिए प्रदान की गई 27 मई, 2021 तक एक महीने की अवधि के विस्तार के बारे में बताया गया था।

विनीता अग्रवाल, ईएम ने परिषद को इस बात से अवगत कराया कि मान्यता के लिए कुल 209 प्रस्ताव (69 एबी और 140 एए, जिसमें 18 दोहरी मान्यता के लिए शामिल हैं) प्राप्त हुए हैं। इनमें से केवल 195 आवेदन समीक्षा के लिए पात्र थे और सावधानीपूर्वक और सम्यक् जांच, मूल्यांकन, समीक्षा और अंतिम प्रस्तुतीकरण के विभिन्न चरणों में हैं। यह देखा गया है कि अधिकांश प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव अधूरे थे या एनसीवीईटी के निर्धारित मान्यता दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं

थे। तदनुसार, लगभग सभी आवेदकों को पूरी जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कहा गया था और इसके संबंध में टिप्पणियों को समय-समय पर सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया गया है। हालांकि, कुछ मामलों में इन सभी टिप्पणियों के खिलाफ अभी भी पूर्ण प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। 195 प्रस्तावों में से 15 प्रस्तावों, जिन्होंने समीक्षा पैनल द्वारा की गई टिप्पणियों पर जानकारी/स्पष्टीकरण के अनुसार पूरा कर लिया है, को अंतिम निर्णय के लिए परिषद की उप-समिति द्वारा विचार करने के लिए ले लिया गया है।

इसलिए मान्यता की प्रक्रिया चल रही है। कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में किए जा रहे प्रशिक्षण में निरंतरता की सुविधा के लिए और मान्यता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, एनसीवीईटी की उप-समिति ने 31 जनवरी, 2022 तक संक्रमण की अवधि को बढ़ाने या प्रस्ताव पर एनसीवीईटी द्वारा निर्णय लिए जाने तक, जो भी पहले हो, को मंजूरी दी है, यह मंजूरी उन सभी मौजूदा एबी और एए के लिए है जो पहले से ही मौजूदा अवार्डिंग बॉडीज के साथ सूचीबद्ध हैं, इस शर्त के अधीन कि उन्होंने एनसीवीईटी मान्यता के लिए आवेदन किया है और समय पर अपना आवेदन जमा किया है।

परिषद ने प्रस्तावों की उपरोक्त स्थिति की समीक्षा की और उपरोक्त को देखते हुए संक्रमण अवधि बढ़ाने की आवश्यकता की सराहना की। परिषद के सदस्यों ने मान्यता प्रक्रिया को और सरल और अधिक कुशल बनाने का सुझाव दिया। परिषद को यह अवगत कराया गया कि एनसीवीईटी पहले से ही उसी पर काम कर रहा है और एनसीवीईटी टेक प्लेटफॉर्म के विकास के बाद, जो सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और कार्य-प्रवाह आधारित बना देगा, न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ मान्यता प्रक्रिया को और सरल और तेज किया जाएगा। अध्यक्ष ने परिषद के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे एनसीवीईटी की मान्यता के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों की अंतिम समीक्षा के लिए एनसीवीईटी उप समिति की कुछ बैठकों में भाग लेने के लिए अपना बहुमूल्य समय दें।

परिषद ने एबी/एए की मान्यता की स्थिति को नोट किया और 31 जनवरी, 2022 तक या सभी मौजूदा एबी और एए के लिए प्रस्ताव पर एनसीवीईटी द्वारा निर्णय लेने तक, जो भी पहले हो संक्रमण अवधि के विस्तार की पुष्टि की, यह उन सभी मौजूदा एबी और एए के लिए है जो उनके साथ पैनलबद्ध है।

3.2 एबी और एए के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले करार।

परिषद को सूचित किया गया था कि एनसीवीईटी और मान्यता प्राप्त एबी के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले मसौदा करार को अंतिम रूप दिया गया है और हितधारकों को उनकी टिप्पणियों के लिए साझा किया गया है। इसे एमएसडीई को भी भेजा गया है ताकि डीओएल द्वारा इसका पुनरीक्षण किया जा सके। पता चला है कि डीओएलए इस तरह के दस्तावेज का पुनरीक्षण नहीं करता है, हालांकि, एक औपचारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है। संबंधित शेयरधारकों/डीओएलए से इनपुट/प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर करार को अंतिम रूप दिया जाएगा।

परिषद ने इसे नोट कर लिया है।

4. **कार्यसूची मद सं. सी0404: भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसडीई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर**।

परिषद को यह बताया गया था कि स्वायत्त संगठनों को प्रति वर्ष पांच करोड़ रुपये से अधिक का बजटीय समर्थन प्राप्त है, उन्हें प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन को तैयार कर एमएसडीई को भेज दिया गया है। अध्यक्ष ने कहा कि शीघ्र ही इस पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

परिषद ने इसे अनुमोदित कर दिया है।

5. कार्यसूची मद सं. सी0405: एनसीवीईटी के तहत मान्यता प्राप्त संस्थाओं और प्रशिक्षण निकायों के लिए शिकायत निवारण तंत्र पर अंतिम दिशानिर्देशों का अनुमोदन

परिषद ने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के साथ जीआरएम के एकीकरण/प्लगिंग-इन की संभावना पर स्पष्टीकरण मांगा और सूचित किया गया कि पक्षों-विपक्षों (ग्रामीण / गरीब पृष्ठभूमि के प्रशिक्षुओं सहित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की वृद्धि मैट्रिक्स और संख्यात्मक संस्थाओं के कामकाज) पर विचार करते हुए, एनसीवीईटी के लिए जीआरएम पर अलग से दिशानिर्देश विकसित करना बेहतर समझा गया।

परिषद ने इसे नोट किया और परिषद के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एनसीवीईटी द्वारा तैयार किए गए अंतिम दिशानिर्देशों को ईमेल के माध्यम से भेजने की सलाह दी।

6. कार्यसूची मद सं. सी0406: अवार्डिंग बॉडीज द्वारा अर्हताओं को अपनाने के लिए अंतिम दिशा-निर्देशों की पुष्टी/अनुमोदन

परिषद को इस बात से अवगत कराया गया था कि 'अवार्डिंग बॉडीज द्वारा अर्हताओं को अपनाने पर दिशानिर्देश' 2015 में प्रायोगिक आधार पर पहले तैयार किया गया और जारी किए गए थे। आगे इस बात पर भी जोर दिया गया कि दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के दौरान बड़े स्तर पर इसे अपनाना, अर्हता विकसित करने वाले अवार्डिंग बॉडीज द्वारा अधिकार देने में प्रतिरोध, क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति, अर्हता के विकास के लिए उभरते वैकल्पिक मार्ग के रूप में अपनाने का उपयोग करना आदि, संभव समाधान की आवश्यकता जैसे कई मुद्दों हैं। इसलिए, प्रायोगिक चरण के दौरान उभरे मुद्दों का समाधान करने और दिशानिर्देशों में और सुधार करने के लिए, एनसीवीईटी में दिशानिर्देशों को परिशोधित करने का एक अभ्यास किया गया था। संशोधित दिशानिर्देश मूल अर्हता विकासकर्ता निकाय के लिए उद्देश्यों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, कार्यक्षेत्र, प्रक्रियाओं और समयसीमा के साथ परिचालन तंत्र और शुल्क/मौद्रिक प्रोत्साहन के प्रावधान को निर्धारित करते हुए तैयार किए गए हैं। परिषद को दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं से अवगत कराया गया था और परिषद के सदस्यों द्वारा किये गये चर्चाओं और उठाए गए प्रश्नों के आधार पर एनसीवीईटी द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए गए थे और उसमें परिवर्तन किए गए थे:

क. ये दिशानिर्देश निर्धारित प्रक्रिया और मानदंडों के अनुसार अन्य अवार्डिंग बॉडी द्वारा विकसित एनएसक्यूएफ अनुमोदित अर्हता को अपनाने के लिए केवल एनसीवीईटी मान्यता

प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज पर लागू होंगे।

ख. केंद्रीय/राज्य स्कूल बोर्ड/सरकारी स्कूलों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को अर्हता विकासकर्ता निकाय को किसी भी प्रकार के अंगीकरण शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी।

ग. अपनाने वाले निकाय को अतिरिक्त रूप से अपनी आंतरिक क्षमता और क्षमता को स्थापित करने, मूल्यांकन करने और अपनाई जा रही अर्हता (ओं) के अन्य संबंधित पहलुओं के संदर्भ में स्थापित करना होगा।

घ. दिशा-निर्देशों के संदर्भ में अर्हताओं को अपनाना पात्रता मानदंड, एनएसक्यूएफ स्तर, विचारमूलक घंटे, एनओएस / शिक्षण परिणाम, प्रत्यायन और मूल्यांकन मानदंड (अर्हता के लिए निर्धारित) समीक्षा की तिथि और साधन और उपकरणों की सूची आदि जैसे बुनियादी ढांचे में बदलाव किए बिना अर्हता को उसकी समग्रता में लेना, को संदर्भित कर्ता है। हालांकि, इसे अपनाने के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक के रूप में 'लचीलापन' की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय या नौकरी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनाई गई अर्हता में 20% संशोधन की अनुमति दी गई है।

ङ. उनकी आपसी सहमति के आधार पर, अर्हता विकासकर्ता/मालिक पुरस्कार देने वाली संस्था और अपनाने वाली निकाय भी अर्हताओं को अपनाने के लिए लगाए जाने वाले शुल्कों के बारे में पारस्परिक रूप से निर्णय ले सकते हैं।

च. प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) के संचालन के अधिकार तब तक विकासकर्ता निकाय के पास रहेंगे जब तक कि अपनाने वाले और विकासकर्ता निकाय दोनों इस तरह के अधिकारों को अपनाने वाले निकाय को हस्तांतरित करने के लिए परस्पर सहमत न हों या विकास निकाय एनसीवीईटी द्वारा यथा निर्धारित समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) आयोजित करने में विफल रहता है।

छ. यह स्पष्ट किया गया कि कौशल विश्वविद्यालयों को मानव संसाधन सहित उनकी उच्च क्षमताओं के चलते उच्चतर स्तरीय पाठ्यक्रम (स्तर 5 और इससे अधिक) विकसित करने और चलाने के लिए अनिवार्य किया गया है। कौशल विश्वविद्यालय अन्य अवार्डिंग बॉडीज द्वारा विकसित किये गये अर्हताओं को अपनाने के लिए पात्र होंगे बशर्ते उन्होंने एनएसक्यूएफ स्तर 5 और उससे ऊपर की कम से कम 10 अर्हताएं विकसित की हों।

ज. एनओएस/एनओएस को अपनाने के लिए दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

परिषद ने उपरोक्त स्पष्टीकरणों और संशोधनों के अधीन अवार्डिंग बॉडीज द्वारा अर्हताओं को अपनाने के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी।

7. कार्यसूची मद सं. सी0407: अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसी के दिशानिर्देशों में संशोधन की पुष्टी

अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसी के दिशानिर्देशों में किए गए संशोधनों के बारे में परिषद को बताया गया।

यह भी बताया गया कि एनसीवीईटी को एबी की मान्यता के लिए कई आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इन प्रस्तावों की संवीक्षा करने के दौरान कुछ कमियां/टाइपिंग संबंधी त्रुटियां, और आगे के ब्याख्या/स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले खंड दिशानिर्देशों के वर्तमान संस्करण में देखे गए थे। आवेदकों द्वारा मांगे गए कुछ स्पष्टीकरणों ने भी उसी की ओर इशारा किया। साथ ही, संस्थाओं द्वारा एक संघ के रूप में मान्यता प्राप्त करने के तरीके के संबंध में आवेदकों से बहुत सारे प्रश्न थे। वर्तमान दिशानिर्देश उसी का विवरण प्रदान नहीं करते हैं।

तदनुसार, दिशा-निर्देशों और इसके संचालन मैनुअल पर दोबारा गौर किया गया और महत्वपूर्ण और आवश्यक पाए गए कुछ बदलावों को शामिल किया गया। इन्हें अध्यक्ष, एनसीवीईटी के अनुमोदन से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संशोधन के रूप में जारी किया गया था। निम्नलिखित से संबंधित संशोधन निम्न हैं:

क) एबी दिशानिर्देशों और परिचालन नियम पुस्तिका के कुछ खंडों में संशोधन।
ख) संशोधित आवेदन पत्र।
ग) कंसोर्टियम पर नोट।
घ) कंसोर्टियम के रूप में आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र।

इस संबंध में कार्यालय आदेश दिनांक 31/08/21 को जारी किया गया था। आदेश के साथ सभी संशोधित दस्तावेज एनसीवीईटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।

परिषद ने अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसी के दिशानिर्देशों में उपरोक्त संशोधनों की पुष्टि की।

8. कार्यसूची मद सं. सी0408: स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण

8.1 परिषद को व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के महत्वपूर्ण जनादेश के बारे में बताया गया। इस संबंध में **एनसीवीईटी** ने सीबीएसई और डीओएसईएल के साथ कई बैठकें कीं। सीबीएसई और डीओएसईएल के अनुरोध पर एनएसक्यूएफ प्रक्रिया को समझने और स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के साथ संरेखण को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित के साथ पांच वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित की गई:

क) डीओएसईएल, शिक्षा मंत्रालय।

ख) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ।

ग) पीएसएस केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीवाईवी), भोपाल।

घ) सभी क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी)।

ङ) एसएससी के चयनित उद्योग भागीदार।

च) चयनित स्कूल के प्रधानाचार्य।

छ) एनएसडीसी ।

वेबिनार के अच्छे परिणाम मिले, जिसने तब सभी हितधारकों को स्कूली शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के निर्बाध एकीकरण के लिए एक साथ काम करने के लिए एक साझा मंच प्रदान किया। इसने एकीकृत क्रेडिट फ्रेमवर्क के लिए समझ विकसित करने में भी मदद की, जिस पर एनसीवीईटी डीओएसईएल, डीओएचई, यूजीसी और एआईसीटीई के साथ काम कर रहा है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई इस प्रकार

है:-

क) स्कूली शिक्षा के साथ एकीकरण के लिए उपयुक्त प्रमुख क्षेत्रों/अर्हता/पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप देना।

ख) स्कूलों के लिए उपयुक्त एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं की पहचान और विकास।

ग) एमओई और एमएसडीई की नीति के अनुसार इसके आसपास उपलब्ध व्यावसायिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए समूहों (हब और स्पोक मॉडल) की पहचान।

घ) प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) के लिए कार्य योजना।

ङ) स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए मॉडल पाठ्यक्रम और विषय वस्तु के निर्माण के लिए कार्य योजना।

च) विदेशी भाषाओं के साथ-साथ भारतीय भाषाओं को भी भारत और विदेशों में अधिक रोजगार के लिए एक कौशल के रूप में प्रावधान किया जाना चाहिए।

परिषद ने व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य विद्यालयों के एकीकरण में प्रगतिशील विकास पर ध्यान दिया। स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए स्कूलों, पीएमकेवीवाई और डीडीयूजीकेवाई केंद्रों के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने का सुझाव दिया गया था।

8.2 नैस्कॉम और एआईसीटीई के साथ आईटी और आईटीईएस में मूलभूत अर्हताएं

परिषद को नैसकॉम के अध्यक्ष के साथ एनसीवीईटी के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया गया जिसमें यह चर्चा की गई कि प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों

में कौशल विकास अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इनमें से कुछ, प्रौद्योगिकी कौशल की आवश्यकता सभी क्षेत्रों में नींव कौशल के रूप में हो सकती है, विशेष रूप से डिग्री और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में। फ्रेशर्स की तत्काल रोजगार क्षमता के लिए इन मूलभूत कौशलों को अत्यधिक महत्व माना जा सकता है। इनमें से कुछ कौशल प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित हैं जो इस प्रकार हैं:

क. कृत्रिम आसूचना
ख. दूरसंचार: 5जी अवधारणाएँ
ग. इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अवधारणा
घ. डेटा सुरक्षा की मूल बातें
ङ. ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी
च. डेटा गोपनीयता अवधारणाएं और मैं अधिकार
छ. स्वायत्त वाहनों सहित प्रौद्योगिकी प्रवृतियां
ज. डिजिटल भुगतान
झ. डिजिटल विपणन
ञ. ई-कॉमर्स
ट. जीआईएस
ठ. रोबोटिक्स
ड. ड्रोन

नैसकॉम ने प्रस्तावित किया है कि उपरोक्त कौशल प्रदान करने के लिए विशिष्ट एनओएस बनाए जा सकते हैं, और उन्हें "फाउंडेशनल" पाठ्यक्रमों के रूप में कॉलेजों में डिग्री / डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रत्येक सेमेस्टर में "2 से 3 क्रेडिट" पाठ्यक्रम के रूप में प्रदान किया जा सकता है। यह इस बुनियादी ज्ञान के साथ तैयार एक कार्यबल बनाने में मदद करेगा और उद्योग के बदलते परिदृश्य को बेहतर ढंग से समझने और इसमें योगदान करने में सक्षम होगा।

परिषद ने नैसकॉम और एआईसीटीई के साथ आईटी और आईटीईएस में मूलभूत अर्हता के संबंध में उपरोक्त विकास को नोट किया। यह सुझाव दिया गया था कि उपरोक्त यथा प्रस्तावित मूलभूत पाठ्यक्रम विकसित करें और अगली बैठक में परिषद को इसके

बारे में बताएं।

8.3 इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलीटेकनिक में एनएसक्यूएफ संरेखित वीईटी अर्हता का संचालन: अधिशेष बुनियादी ढांचे का उपयोग।

परिषद को इस बात से अवगत कराया गया था कि स्किलिंग इकोसिस्टम के भीतर अपर्याप्त गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना गुणवत्तापूर्ण कौशल पहल के कार्यान्वयन के लिए एक बड़ी बाधा है। एआईसीटीई के उपाध्यक्ष के साथ चर्चा करने के दौरान आगे यह पता चला कि वर्तमान में कई पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थान हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे का उपयोग नहीं किया गया है। इस संबंध में, एआईसीटीई ने एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं पर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के उद्देश्य से इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों के अप्रयुक्त / कम उपयोग वाले अवसंरचना के उपयोग का प्रस्ताव रखा है। इस प्रयोजन के लिए संबंधित अवार्डिंग बॉडीज इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों की प्रयोगशाला/कार्यशाला सुविधा को अपने प्रशिक्षण प्रदाताओं/प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में संबद्ध कर सकते हैं ताकि मौजूदा अवसंरचना का उपयोग व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है। एआईसीटीई की कार्यकारी समिति ने अपनी पिछली बैठक में भी इस पहल की सराहना की और अपनी सहमति व्यक्त की।

इसके अलावा, एआईसीटीई ने प्रस्तावित किया कि एआईसीटीई द्वारा अपने स्वयं के क्यूआर अर्हता और आंतरिक छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। जबकि अन्य सभी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग (एसटीटी) पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन एनसीवीईटी से मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से किया जा सकता है।
इस प्रक्रिया शुरू करने के लिए, इस संबंध में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल (एससीपीडब्ल्यूडी) के सहयोग से प्रक्रिया शुरू करने के लिए वाइस चेयरमैन एआईसीटीई को एक पत्र भेजा गया है।

परिषद ने उपरोक्त मामले को अपने संज्ञान में लिया।

9. कार्यसूची मद सं. सी0409: लंबवत और क्षैतिज गतिशीलता और मल्टीपॉइंट एंट्री और एक्जिट के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क का विकास।

परिषद को एक मजबूत क्रेडिट ढांचे के निर्माण के संबंध में एनसीवीईटी द्वारा अब तक की गई कार्रवाई से अवगत कराया गया। इस संबंध में, यह भी बताया गया कि एनसीवीईटी ने क्रेडिट फ्रेमवर्क का पहला मसौदा तैयार कर लिया है और इसके बाद इसे अपने हितधारकों के साथ साझा किया है, माननीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिशीलता मंत्री के निर्देशों के आधार पर, एक एकीकृत क्रेडिट फ्रेमवर्क स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा समेत अन्य पर काम किया जा रहा है।

माननीय मंत्री के निर्देशों के अनुसार, एनसीवीईटी ने अवधारणा नोट पर फिर से काम किया है जिसमें शैक्षणिक (स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा), व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण और प्रासंगिक कार्य अनुभव से संबंधित तीन चर के खिलाफ क्रेडिट के असाइनमेंट के लिए एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण शामिल है। यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एमएसडीई, एमओई, यूजीसी, एआईसीटीई, सीबीएसई, एनआईओएस, एनसीईआरटी, पीएसएससीआईवीई और अन्य हितधारकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ कई बैठकें की गई। एकीकृत क्रेडिट ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए मसौदा ढांचा को शिक्षा मंत्रालय के साथ उनके विचारों और टिप्पणियों के लिए भी साझा किया गया है। क्रेडिट ढांचे की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

क. 'एसएएमवीएवाई' के तर्ज पर व्यापक रूप से संरेखित - एआईसीटीई द्वारा कौशल आधारित क्रेडिट ढांचे ।

ख. स्किलिंग क्रेडिट को कुल अनुमानित घंटों और स्तरों के आधार पर तय किया जाना है।

ग. एक (1) वर्ष 1500 नोशनल शिक्षण घंटों के अनुरूप होना चाहिए। दीर्घकालिक अर्हता >= 1500 बजे> अल्पकालिक अर्हता।

घ. एक (1) क्रेडिट यूनिट - व्यावसायिक शिक्षा के 25 शिक्षण घंटे।

ङ. क्रेडिट फ्रेमवर्क: 3 चर पर आधारित क्रेडिट संचय: व्यावसायिक शिक्षा और कौशल, शैक्षणिक / व्यावसायिक शिक्षा, प्रासंगिक अनुभव उपलब्ध।

यह चर्चा की गई कि एमओई एकीकृत क्रेडिट फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने के लिए हितधारकों की एक समिति बनाने की प्रक्रिया में है।

परिषद ने उपरोक्त मामले पर भी ध्यान दिया और यह सुझाव दिया गया कि आगामी परिषद की बैठक में लंबवत और क्षैतिज गतिशीलता और मल्टीपॉइंट एंट्री एंड एक्जिट के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क के विकास पर अवगत कराया जाए।

10. कार्यसूची मद सं. सी0410: एक सरलीकृत राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) / अर्हता टेम्पलेट लागू करना

परिषद को सूचित किया गया था कि एनएसक्यूएफ के तहत अर्हता और एनओएस के निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, एनसीवीईटी एनओएस / अर्हता टेम्पलेट विशेष रूप से निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किये गये अर्हता के संबंध में के सरलीकरण की प्रक्रिया में है:

क. असंगठित क्षेत्र,
ख. पारंपरिक और विरासत वाला क्षेत्र,
ग. हस्तशिल्प क्षेत्र,
घ. अपने स्थानीय कौशल समूहों के लिए जिला कौशल समितियां (डीएससी) और
ङ. व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्कूल बोर्ड

परिषद के सदस्यों ने सरलीकृत टेम्पलेट/सामग्री की समीक्षा की और एनसीवीईटी के प्रयासों की सराहना की। परिषद ने इसे जल्द से जल्द लागू करने की सलाह दी।

11. कार्यसूची मद सं. सी0411: एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए अर्हता और एनओएस की प्रक्रिया का सरलीकरण।

परिषद को सूचित किया गया था कि एनएसक्यूएफ संरेखण अत्यधिक विशिष्ट है, प्रक्रिया संचालित है और इसमें कई संवीक्षा, मूल्यांकन, समीक्षा, हितधारक परामर्श, यानी दस्तावेजों

की पूर्णता के लिए सलाहकार द्वारा डेस्क समीक्षा, उद्योग/विषय वस्तु विशेषज्ञ द्वारा हितधारकों की समीक्षा और अंत में एनएसक्यूसी की अनुमोदन के चरण शामिल हैं। परिषद को आगे बताया गया कि एनसीवीईटी द्वारा एनएसक्यूएफ के साथ अर्हताओं को संरेखित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और इसमें गति लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, उदाहरण के लिए, क्यूआरसी के माध्यम से अर्हता पास करने की आवश्यकता को समाप्त करना, जिससे अनुमोदन लेने की प्रक्रियाओं में समय काफी कम हो गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण कदम एनओएस आधारित अर्हता विकास को नए/संशोधित अर्हताओं को बनाने के लिए एनओएस के बंडिंग और री-बंडिंग द्वरा छोटा और आसान बनाना है।

परिषद ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया और इस संबंध में एनसीवीईटी द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी संज्ञान में लिया।

12. कार्यसूची मद सं. सी0412: एनएसक्यूएफ की व्यापक समीक्षा, स्तर असाइनमेंट और अर्हता अनुमोदन प्रक्रिया

परिषद को आगे यह बताया गया कि अर्हता फाइलों में सुधार के तरीकों की जांच करने और सुझाव देने के लिए एक कार्य समूह (तीन उप-समूहों को शामिल करते हुए) का गठन किया गया है। परिषद को तीन उप-समूहों की भूमिका के बारे में भी बताया गया।

i. उप समूह 1: नोशनल घंटे का मानकीकरण, प्रवेश हेतु आवश्यकताएँ, 80 घंटें से कम की अर्हता के लिए एनएसक्यूएफ संरेखण, अर्हता के परिशोधन के लिए अर्हता फ़ाइल टेम्पलेट और तंत्र की जांच।
ii. उप समूह 2: डिप्लोमा अर्हता के लिए अर्हता फ़ाइल और नीति/दिशानिर्देश में प्रयुक्त शब्दावली की अर्हता, मानकीकरण का नामकरण।
iii. उप समूह 3: लाइन मंत्रालय के अनुमोदन, उद्योग सत्यापन, क्षेत्रीय समितियों का गठन के लिए एनएसक्यूएफ स्तर, मानकीकृत प्रारूप।

परिषद ने सलाह दी कि इस समिति की रिपोर्ट को मार्च 2022 में प्रस्तावित परिषद की अगली बैठक में रखा जाना चाहिए ताकि इसे अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया जा सके।

13. कार्यसूची मद सं. सी0413: व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में भारतीय भाषाओं की पहल के कार्यान्वयन की पहल/स्थिति।

परिषद को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में भारतीय भाषाओं को लागू करने के लिए एनसीवीईटी द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सूचित किया गया ताकि भाषा अब बाधा न बने। सेक्टर स्किल काउंसिल ने अब तक अर्हता के 44, विधिवत पुनरीक्षित, हिंदी संस्करण प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें एनक्यूआर पर अपलोड किया जा रहा है।

परिषद ने इसके लिए किये गये प्रयासों को स्वीकार किया और इस संबंध में एनसीवीईटी द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी संज्ञान में लिया।

14. कार्यसूची मद सं. सी0414: एनसीवीईटी टेक प्लेटफॉर्म के विकास की स्थिति

अध्यक्ष ने परिषद के सुचारू और कुशल कामकाज के लिए टेक प्लेटफॉर्म (एनसीवीईटी डिजिटल एंटरप्राइज पोर्टल) की आवश्यकता को उजागर किया, जिसमें एनसीवीईटी को अवार्डिंग एजेंसी और / या मूल्यांकन एजेंसी, अर्हता अनुमोदन प्रक्रिया, मान्यता प्राप्त की निगरानी, समयबद्ध तरीके से शिकायतों का निपटारा करना और मजबूत डेटाबेस बनाए रखने के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों की संवीक्षा शामिल है। परिषद के सदस्यों ने आगे एक बाहरी परामर्शदाता की नियुक्ति की आवश्यकता के बारे में पूछताछ की। इस विषय में यह बताया गया था कि एनएलसीएसएल से एक परामर्श फर्म को आरएफपी, बोली प्रबंधन और सॉफ्टवेयर विक्रेता के चयन और टेक प्लेटफॉर्म के विकास के लिए इसके प्रबंधन के बाद विस्तृत आवश्यकता विश्लेषण तैयार करने की आवश्यकता होगी। परिषद ने देखा कि अवार्डिंग बॉडीज और मूल्यांकन एजेंसियों की मान्यता के लिए दिशानिर्देश में और बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। यह स्पष्ट किया गया था कि कार्य-प्रवाह आधारित टेक

प्लेटफॉर्म की ओर शिफ्टिंग की परिकल्पना पहले से ही दिशानिर्देशों में की गई है, हालांकि, कुछ अतिरिक्त व्यावसायिक प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग के परिणामस्वरूप और सरलीकरण की आवश्यकता हो सकती है जिसे लागू किया जाएगा।

चूंकि प्रस्ताव एमएसडीई के पास अभी भी विचाराधीन है, अपर सचिव एमएसडीई ने आश्वासन दिया कि टेक प्लेटफॉर्म के विकास के लिए एमएसडीई की आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निदेशक, एनसीवीईटी (लेफ्टिनेंट कर्नल गुंजन) के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श शीघ्र ही किया जाएगा।

15. कार्यसूची मद सं. सी0415: एनसीवीईटी के प्रशासनिक मामले

15.1 पदों को भरने, परामर्शदाता (तकनीकी), परामर्शदाता-पीए/पीएस की भर्ती, अन्य रिक्त स्वीकृत रिक्तियों की स्थिति:

विभिन्न पदों की स्थिति पर परिषद द्वारा संज्ञान में लिया गया।

परिषद को बताया गया कि एनसीवीईटी के अधिकारी सरकारी आवास जैसी सुविधाओं के हकदार नहीं हैं, जो एनसीवीईटी द्वारा विज्ञापित रिक्तियों के लिए खराब प्रतिक्रिया का प्रमुख कारण है।

परिषद ने इन बिंदुओं पर विचार किया और सलाह दी कि एनसीवीईटी को सरकारी आवास के लिए पात्र कार्यालय के रूप में अनुमोदित करने के लिए एच&यूए मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाने के लिए एमएसडीई को अग्रेषित किया जा सकता है।

15.2 भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान में परिषद में सचिव का पद सृजित करने के लिए सरकार से अनुरोध की स्थिति

परिषद को यह बताया गया कि परिषद के सचिव की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि अन्य

सभी परिषदों / विनियामकों द्वारा इसी तरह की प्रथा / ऑर्गेनोग्राम का पालन किया जा रहा है।

परिषद ने सहमति व्यक्त की कि एनसीवीईटी में संयुक्त सचिव स्तर के एक पद के सृजन/स्थानांतरण की संभावनाओं पर काम करने के लिए एमएसडीई से संपर्क किया जा सकता है।

15.3 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी&एजी) द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा का कार्य सौंपना।

वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए लेखा परीक्षा का कार्य सौंपने की स्थिति परिषद द्वारा संज्ञान में ली गई।

15.4 वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान का आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमानों के आवंटन की स्थिति परिषद द्वारा संज्ञान में ली गई।

15.5 वर्तमान भवन के समय विस्तार और एनसीवीईटी कार्यालय को चाणक्यपुरी के निकट निर्माणाधीन कौशल भवन बिल्डिंग में स्थानांतरित करने की पुष्टी।

परिषद ने अप्रैल 2022 तक वर्तमान परिसर के लिए पट्टा करार के समय विस्तार के संबंध में स्थिति की समीक्षा की और इसकी पुष्टि की।

इसके अलावा, परिषद को यह बताया गया था कि एमएसडीई प्राथमिकता के आधार पर एनसीवीईटी को नए भवन में स्थान देने की संभावना तलाश सकता है जैसे ही यह भवन तैयार हो जाता है।

15.6 एनसीवीईटी कर्मचारियों के लिए टेलीफोन/मोबाइल डेटा कार्ड की प्रतिपूर्ति के संबंध में परिषद द्वारा नीति की पुष्टी।

परिषद ने एनसीवीईटी के कर्मचारियों के लिए टेलीफोन/मोबाइल/डेटा कार्ड की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव पर ध्यान दिया और इसे सरकारी मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुरूप रखते हुए अनुमोदित किया।

15.7 परिषद के अध्यक्ष और कार्यकारी सदस्यों की सेवा शर्तें।

परिषद ने परिषद के अध्यक्ष और कार्यकारी सदस्यों की सेवा शर्तों के संबंध में प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार करने और अनुमोदन के लिए सरकार को भेजने के प्रस्ताव पर विचार किया और सहमति व्यक्त की।

16. कार्यसूची मद सं. सी0416: एनएसडीए/एनसीवीईटी की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा:

16.1 पिछले वर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति और परिषद द्वारा इसका अनुमोदन।

परिषद ने 2014-15 से 2020-21 तक एनएसडीए/एनसीवीईटी की अलग-अलग वार्षिक रिपोर्टों की स्थिति पर ध्यान दिया और संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए उन्हें एमएसडीई को अग्रेषित करने के लिए अनुमोदित किया।

16.2 वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों की स्वीकृति।

परिषद को सूचित किया गया था कि पैनल में शामिल सनदी लेखाकार फर्म ने काम पूरा कर लिया है और 01.04.2020 से 31.07.2020 की अवधि के लिए एनएसडीए के अंतिम लेखा और 01.08.2020 से 31.03.2021 की अवधि के लिए एनसीवीईटी के अंतिम लेखा

जमा कर दिए गये हैं।

परिषद ने वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी।

17. **कार्यसूची मद सं. सी0417: एनसीवीईटी की पहल और उपलब्धियां (पिछली बैठक 15.6.2021 से)।**

17.1 कौशल विश्वविद्यालयों के लिए मसौदा दिशानिर्देश।

परिषद ने कौशल विश्वविद्यालयों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की दिशा में एनसीवीईटी द्वारा किए गए प्रयासों पर ध्यान दिया और अपनी इच्छा व्यक्त की कि यूजीसी के सभी पहलुओं/चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भी इसे तैयार किया जा सकता है। परिषद ने आगे सलाह दी कि एनसीवीईटी परिषद को दिशानिर्देश प्रस्तुत करने से पहले अन्य कौशल विश्वविद्यालयों आदि की विशेषज्ञता / अनुभव / इनपुट का उपयोग करें और सहमति के लिए एमएसडीई को दिशानिर्देश प्रस्तुत करें।

17.2 एनसीवीईटी द्वारा एबी और एए की रेटिंग और ग्रेडिंग पर मसौदा दिशानिर्देश।

परिषद ने एनसीवीईटी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और अब तक हुई प्रगति पर ध्यान दिया और इसकी गुणवत्ता की निगरानी के लिए एबी और एए की रेटिंग और ग्रेडिंग पर दिशानिर्देशों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और अगली परिषद की बैठक में लाने की सलाह दी।

17.3 एबी/एए निगरानी ढांचे पर दिशानिर्देश।

परिषद ने उनके द्वारा सख्त अनुपालन के लिए एबी/एए की मान्यता के दिशा-निर्देशों में पहले से शामिल किये गये निगरानी मानकों (एबी के लिए 30 और एए के लिए 24) पर ध्यान दिया।

इसके अलावा, परिषद ने देखा कि व्यावसायिक शिक्षा और कौशल में एनसीवीईटी की भूमिका से संबंधित कुछ दिशानिर्देश, एनएसडीसी और एसएससी, एमएसडीई और एनसीवीईटी जैसे विभिन्न प्रमुख प्लेयर्स की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, को तैयार किया जा सकता है और इसे परिषद के विचार के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

17.4 वर्तमान एनसीवीईटी वेबसाइट में सुधार।

परिषद ने एनसीवीईटी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की क्योंकि वेबसाइट सार्वजनिक उपयोग के लिए सूचना के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। बेहतर सुरक्षा प्रावधानों के लिए वेबसाइट को एनआईसी प्लेटफार्म पर होस्ट करने की सलाह दी गई।

17.5 राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर), संशोधित अर्हता के लिए एनक्यूआर कोड मानकीकरण, एनक्यूआर ऑडिट, एनक्यूआर के लिए एएमसी का अद्यतन और संशोधन ।

परिषद ने प्रयासों की सराहना की और परिषद के समक्ष प्रस्तुत स्थिति अद्यतन पर ध्यान दिया।

17.6 एनएसडीसी के सहयोग से हल किए जाने वाले मामले:

परिषद ने एनएसडीसी से संबंधित मामले पर विचार-विमर्श किया और सिस्टम में प्रत्येक इकाई की भूमिका और जिम्मेदारियों पर स्पष्टता रखने की सलाह दी गई। एमएसडीई, एनएसडीसी और एनसीवीईटी को शामिल करते हुए एक अलग बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसका समन्वय करने के लिए कर्नल संतोष कुमार, निदेशक, एनसीवीईटी को कहा गया था।

17.7 क्रॉस सेक्टोरल कौशल और बहु-कार्यात्मक कौशल के लिए अर्हता का विकास।

परिषद ने क्रॉस-सेक्टोरल कौशल और बहु-कार्यात्मक कौशल के लिए अर्हता के विकास के लिए किये गये पहलों पर संज्ञान लिया और इस संबंध में होने वाली आगे की गतिविधियों के बारे में सूचित रहने के लिए कहा।

17.8 फ्यूचर स्किल के लिए अर्हता की पहचान और विकास।

परिषद ने फ्यूचर स्किल (उद्योग 4.0 और उससे आगे) को अपनाने पर अवधारणा नोट के साथ-साथ फ्यूचर स्किल की पहचान और विकास के संबंध में किये गये पहलों पर ध्यान दिया और इस संबंध में होने वाली आगे की गतिविधियों के बारे में सूचित रहने के लिए कहा।

17.9 प्रौद्योगिकी क्षेत्र कौशल परिषदों (आईटी आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार) में प्रौद्योगिकी एनओएस की पुन: प्रयोज्यता की क्षमता।

प्रौद्योगिकी क्षेत्र कौशल परिषद में सामान्य एनओएस की पुन: प्रयोज्यता के बारे में परिषद को जानकारी दी गई।

परिषद ने इस विचार पर ध्यान दिया।

17.10 क्षेत्रीय समितियों और विषय संबंधी विशेषज्ञों का गठन:

परिषद ने क्षेत्रीय समिति और विषय संबंधी विशेषज्ञों के गठन के संबंध में अद्यतन स्थिति का संज्ञान लिया।

17.11 एनओएस और अर्हता का अंतरराष्ट्रीय संरेखण: भारतीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की अर्हता का संरेखण जिसे अंतर्राष्ट्रीय अर्हता मानक के साथ नई प्रौद्योगिकियों को विधिवत रूप से शामिल करना।

परिषद को इस बात से अवगत कराया गया कि उप-समिति की समीक्षा के दौरान, संबंधित एसएससी को आने वाले वर्ष में कम से कम 100 एनओएस (प्रति अर्हता औसत 5 एनओएस, और 20 योग्यताएं) लाने की सलाह दी जा रही है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरेखित/ तैयार किए गए हैं।

परिषद ने मौजूदा एसएससी के पास उपलब्ध एनओएस/अर्हता जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार/संरेखित हैं, को समेकित करने के प्रयासों की सराहना की और उसे नोट किया।

इसके अलावा, परिषद द्वारा अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों को भी संदर्भित करने की सलाह दी गई थी। श्री सुशील अग्रवाल, निदेशक, एनसीवीईटी को सलाह दी गई है कि वे आगे के मार्गदर्शन के लिए अपर सचिव, एमएसडीई से संपर्क करें।

17.12 एनसीवीईटी प्रमाणपत्रों की वैश्विक मान्यता।

एनसीवीईटी आईएलओ और अन्य एजेंसियों के सहयोग से अन्य देशों (जैसे यूएई, दुबई, ईयू, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि) द्वारा एनसीवीईटी प्रमाणपत्रों की मान्यता के मार्ग तलाश रहा है। एनसीवीईटी को एआईसीटीई/एनसीवीईटी अर्हताओं के लिए बहुपक्षीय मान्यता प्राप्त करने के लिए एआईसीटीई और यूजीसी के साथ डबलिन समझौते (जो एक बहुपक्षीय मंच है) में भाग लेने के लिए एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

परिषद ने इसका संज्ञान लिया।

17.13 एनसीवीईटी के समान धोखाधड़ी/फर्जी वेबसाइट: प्राथमिकी का पंजीकरण।

परिषद ने इस मामले को संज्ञान में लिया।

17.14 "अमृत महोत्सव" का आयोजन।

परिषद ने भारत सरकार के "अमृत महोत्सव" अभियान के तहत एनसीवीईटी द्वारा की गई गतिविधियों (कई आभासी वेबिनार) को संज्ञान में लिया।

17.15 प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) से संबंधित शिकायतें

परिषद को यह बताया गया कि एनसीवीईटी, डीजीटी के तहत एक प्रमुख अवार्डिंग बॉडी के खिलाफ प्रशिक्षुओं से कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिन्हें उन्हें समाधान किया जाना है। साथ ही, ऐसी कई शिकायतें माननीय मंत्री, एसडीई के समक्ष भी उठाई जा रही हैं जिन्हें उनके कार्यालय द्वारा एनसीवीईटी को भी भेज दिया गया है। एनसीवीईटी इन शिकायतों को शीघ्र समाधान के लिए डीजीटी को अग्रेषित कर रहा है। प्रत्येक अवार्डिंग बॉडीज को किसी भी शिकायत के समयबद्ध समाधान के लिए प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने वाली शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

परिषद ने इस बात को अपने संज्ञान में लिया और आगे सलाह दी कि इस मामले पर एमएसडीई, डीजीटी और एनसीवीईटी के बीच परस्पर चर्चा की जाए।

17.16 एनसीवीईटी डीजीटी में लागू की जा रही प्रणाली सहित एनओएस आधारित अर्हताओं के लिए धीरे-धीरे शिफ्ट हो रहा है।

परिषद को सूचित किया गया था कि अर्हताओं/एनओएस के सरलीकरण और पुन: प्रयोज्य के संबंध में एनसीवीईटी पहल के अनुरूप, डीजीटी से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी पाठ्यक्रम आधारित अरहताओं को एनओएस आधारित अरहता में परिवर्तित करें। डीजीटी ने अपने 10 अर्हताओं/पाठ्यक्रमों पर पुनः काम करके शुरू करने और इन्हें एनओएस आधारित में परिवर्तित करने पर सहमति व्यक्त की है।

18. कार्यसूची मद सं. सी0418: चल रहे कानूनी मामलों की स्थिति।

परिषद को बताया गया कि वर्तमान में तीन कानूनी मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं।

परिषद ने स्थिति को संज्ञान में लिया ।

अपर सचिव, एमएसडीई ने संयुक्त प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए एनएसडीसी, एनसीवीईटी और संबंधित मंत्रालय सहित सभी हितधारकों की एक समन्वय बैठक बुलाने पर सहमति व्यक्त की। कर्नल संतोष, निदेशक, एनसीवीईटी को अपर सचिव, एमएसडीई के साथ इस मामले पर अलग से चर्चा करने के लिए कहा गया था।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

अनुलग्नक I

बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची

एनसीवीईटी परिषद के सदस्यों जिन्होंने बैठक में भाग लिया :

1. डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी, अध्यक्ष, एनसीवीईटी।
2. डॉ. विनीता अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य, एनसीवीईटी।
3. डॉ. नीना पाहुजा, कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी।
4. श्रीमती अनुराधा प्रसाद, सचिव, आईसीएससी गृह मंत्रालय और गैर कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी (भारत वीसी लिंक के माध्यम से)।
5. श्री अतुल कुमार तिवारी, अपर सचिव, एमएसडीई और मनोनीत सदस्य,एनसीवीईटी।
6. श्रीमती अलका उपाध्याय, अपर सचिव, एम/ओ आरडी और गैर कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी।
7. श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव, एम/ओ एचएंडयूए गैर-कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी (भारत वीसी लिंक के माध्यम से) ।

उपस्थित होने वाले अतिरिक्त अधिकारी:

1. श्री. नीरज कुमार, निदेशक, एनयूएलएम, एम/ओ एचएंडयूए और गैर-कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी की ओर से (भारत वीसी लिंक के माध्यम से)
2. श्री. मधुकर पांडे, अवर सचिव , एनयूएलएम
3. श्री. गणेश कुमार, एनएमएम, एनयूएलएम
4. एमएस दीप्ति सक्सेसा, वरिष्ठ सिर - गुणवत्ता बीमा तथा लर्निंग सॉल्यूशंस, एनएसडीसी

उपस्थित होने वाले एनसीवीईटी के अधिकारी:

1. श्री सुशीला अग्रवाल, निदेशक
2. कर्नल संतोष कुमार, निदेशक,
3. श्री, नरेंदर सिंह, निदेशक
4. लेफ्टिनेंट कर्नल गुंजन, निदेशक`

*****